पत्रांक 1644 /धारा–57/ आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/2009–10/देहरादून

कार्यालय आयुक्त कर,उत्तराखण्ड
(धारा–57 अनुभाग)
दिनॉकः देहरादूनः 23 जुलाई 2009

प्रार्थना पत्र सं0 :– 39/दिनांक 11–12–2008
श्री अरविन्द कुमार जैन, एडवोकेट,
2–बाबूगजं दर्शनी गेट, देहरादून ।
निर्णय का दिनांक :– जुलाई 2009,
प्रार्थी की ओर से – श्री अरविन्द कुमार जैन, अधिवक्ता ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

श्री अरविन्द कुमार जैन, अधिवक्ता 2–बाबूगजं दर्शनी गेट के द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत दिनांक 11–12–2008 को एक प्रार्थना पत्र देते हुये, कपडा मिलों द्वारा बेचे जाने वाले बचे कपडे के टुकडे (जिसको टैक्सटाइल वेस्ट भी कहा जाता है) यदि कपडा अनुसूची–1 की मद–57 के अन्तर्गत करमुक्त वस्तु है। उपरोक्त कपडे के टुकडे (टैक्सटाइल वेस्ट) से पिनाई कर बनाई गयी रुई (काटन वेस्ट) जो कि लिहाफ/तकिया आदि में काटन वेस्ट की तरह ही प्रयोग की जाये के सम्बन्ध में करदेयता है? यदि हॉ तो लागू वैट की दर के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है।

2– विभागीय मत ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर, देहरादून द्वारा उपलब्ध कराया गया है। जिसमें उल्लेख किया गया है, कि व्यापारी द्वारा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के तहत उक्त प्रश्न व्यापारी के वैट अधिनियम की धारा 24 (2) के अन्तर्गत जारी नोटिस से उत्पन्न विवाद के बाद पूछा गया है। अपने मत में उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि टैक्सटाइल वेस्ट को उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत किसी अनुसूची में सम्मिलित नही किया गया है। अतः इस पर कर देयता 12.5 प्रतिशत होनी चाहिए। वैट अधिनियम की अनुसूची–1 के अन्तर्गत कमांक–57 पर केवल उसी कपडे को करमुक्त किया गया है,जिस पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क उद्ग्रहणीय है। चूंकि टैक्सटाइल वस्त्र पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क उद्ग्रहणीय नही है। अतः इस पर कर की दर 12.5 प्रतिशत होनी चाहिए।

3– आवेदनकर्ता अरविन्द कुमार जैन, की ओर से लिखित उत्तर दाखिल किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि काटन वेस्ट तथा टैक्सटाईल वेस्ट का उपयोग समान रुप से किया जाता है तथा इसका निर्माण एक समान तरीके से किया जाता है, और यह उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची II B से आच्छादित है। लिखित विवेचन भी आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

4– मेरे द्वारा विभागीय मत एवं श्री जैन द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार किया गया । उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची 1 के कमांक–57 के तहत टैक्सटाईल जिसमें अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 के अधीन अतिरिक्त उत्पाद शुल्कउद्ग्रहणीय को रखते हुये करमुक्त घोषित किया गया है। अनुसूची II ख के कमांक 37 पर

.....2

23-07-09

रुई और रुई छिजन (Cotton and Cotton Waste) को रखते हुये इसे प्रत्येक बिक्री के बिन्दु पर 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य घोषित किया गया है। इन दोनों ही प्रविष्टियों के अन्तर्गत टैक्सटाईल वेस्ट को सम्मिलित नही किया गया है । इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि टैक्सटाईल वेस्ट को काटन वेस्ट के समान नही माना जा सकता है क्योंकि टैक्सटाईल वेस्ट में काटन के अतिरिक्त सिल्क, पोलीएस्टर तथा अन्य इसी तरह के वेस्ट को भी सम्मिलित किया जा सकता है, जबकि काटन वेस्ट का निर्माण केवल काटन के द्वारा ही किया जा सकता है । उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूची–I के कमांक 57 पर केवल उसी कपडे को करमुक्त घोषित किया गया है जिस पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष प्रवर्ग का माल) अधिनियम 1957 के अधीन अतिरिक्त उत्पाद शुल्क उदग्रहणीय है। टैक्सटाईल वेस्ट पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का उदग्रहण नही किया जा रहा है। अतः टैक्सटाईल वेस्ट कमांक 57 पर अकिंत प्रविष्टि से आच्छादित नही होती है और न ही टैक्सटाईल वेस्ट को वैट अधिनियम की अनुसूची II ख के कमांक 37 पर अकिंत प्रविष्टि रुई एवं रुई छिजन (Cotton and Cotton Waste) से ही आच्छादित माना जा सकता है। अतः टैक्सटाईल वेस्ट पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर R. N.R. अर्थात प्रत्येक बिक्री के बिन्दु पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जायेगा ।

आवेदन कर्ता के द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है। इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजा जाय।

भवदीय,

23.07.08

(वी0के0सक्सेना)
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय,देहरादून।

पृ0प0सं0 1645 व दिनॉक::उक्त::

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– श्री अरविन्द कुमार जैन, एडवोकेट, 2–बाबूगजं दर्शनी गेट देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून ।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमॉऊ जोन रुद्रपुर।
4– एडिशनल कमिश्नर, (आडिट)/प्रवर्तन वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून ।
5– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों /बार एसोसिऐशन के पदाधिकारियों/उधोग/व्यापार मण्डंल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी ।
7– ज्वाइंट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रुद्रपुर।

.....3

8– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

9– पोर्टल प्रबन्धक,उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय, आई0आई0टी0 रुडकी।

10– संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।

11– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉडन प्लाला बिल्डिगं अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद ।

12– नेशनल लॉ एण्डं मैनेजमेंन्ट हाउस–15/5 राजनगर गाजियाबाद ।

13– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।

14– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।

15– विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु ।

23.7.08

एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,
मुख्यालय,देहरादून।